न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1070–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–01–2014 एवं 16–1–2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार परगना राघौगढ जिला गुना, प्रकरण कमांक 10/अ–12/2013–14.

.....

1–हरी सिंह पुत्र चुन्नीलाल उर्फ चुन्या
2–गंगाविशन पुत्र चुन्नीलाल उर्फ चुन्या
3–कालूराम पुत्र चुन्नीलाल उर्फ चुन्या
4–मुन्नालाल पुत्र चुन्नीलाल उर्फ चुन्या
5–बाबूलाल पुत्र चुन्नीलाल उर्फ चुन्या
कस्बा बाड़ी, होलीवाला चौक, राघौगढ़
तहसील राघोगढ़ जिला गुना

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–संतोष कुमार राय पुत्र श्री केवल चन्द्र राय
निवासी ग्राम सागर तहसील राघौगढ जिला गुना
2–प्रशान्त अग्रवाल पुत्र श्री मोहनप्रसाद अग्रवाल
निवासी रानी जी के मंदिर के पास राघौगढ
तहसील राघोगढ़ जिला गुना

..... अनावेदकगण

.....

श्री आर0एस0सेंगर, अभिभाषक–आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/5/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार परगना राघौगढ जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–01–2014 एवं दिनांक 16–1–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत तहसीलदार राघौगढ के न्यायालय में ग्राम रूगनाथपुरा की भूमि

सर्वे क्रमांक 24/2 रकबा 0.831 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । तहसीलदार राघौगढ द्वारा सीमांकन कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील लंबित है । अतः सीमांकन से विवाद बढ़ेगा । जिस पर विचार कर तहसीलदार द्वारा दिनांक 02–01–2014 को आवेदक की आपत्ति निरस्त की जाकर दिनांक 16–01–2014 को सीमांकन किया गया । तहसीलदार के इन्हीं दोनों आदेशों से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण ने गलत एवं अवैधानिक तरीके से पटवारी व राजस्व निरीक्षक से मिलकर आवेदकगण को बिना सूचना दिये तथा बिना पक्षकार बनाये तहसील न्यायालय से बटांकन करा लिया है, जिसकी अपील अभी लंबित है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा संयुक्त खाते की भूमि का बिना वैधानिक बटवारा कराये कब्जा प्राप्त किया है, जिसका अनावेदकगण को अधिकार नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदकगण द्वारा दो बार आपत्ति भी प्रस्तुत की गई, परन्तु उस पर विचार नहीं कर सीमांकन कार्यवाही की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को गुणदोष पर सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान में अनावेदकगण के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, ऐसी स्थिति में अनावेदकगण को अपनी भूमि का सीमांकन कराने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और मात्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील लंबित रहने के कारण सीमांकन की

कार्यवाही को रोका जाना उचित नहीं है । सीमांकन प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि सीमांकन में आवेदकगण को विधिवत् सूचना दी गई है और आवेदक द्वारा उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की गई है, और तहसीलदार द्वारा आपत्ति का निराकरण करते हुये ही सीमांकन आदेश पारित किया गया है । अतः सीमांकन आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार परगना राघौगढ जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–01–2014 एवं दिनांक 16–1–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर